

उत्तर प्रदेश शासन,
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3
संख्या एम- 132-3-94-47/93
लखनऊ: दिनांक 6 जनवरी, 1994

=====कार्यालय-हाथ=====

सम्पत्ति विचारोपरान्त राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अतिरिक्त
गृहों में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की निम्नप्रकार जीवन अवधि व प्रति
वर्ष प्रतिशत ह्रास की दरें निर्धारित की जाती हैं:-

क्र०सं०	वस्तु का नाम	वस्तु की जीवन अवधि	ह्रास की प्रतिवर्ष प्रतिशत दर
1-	घादर	9 माह	100 प्रतिशत
2-	पटा	3 वर्ष	33 ¹ / ₃ "
3-	तौलिया	9 माह	100 "
4-	पिलोकवर्त	9 माह	100 "
5-	बेड कवर्त	3 वर्ष	33 ¹ / ₃ "
6-	टिकोजी	9 माह	100 "
7-	ट्रे क्लाथ	9 "	100 "
8-	टेबुल कवर्त	9 "	100 "
9-	नैप किन्स कपड़े के	9 "	100 "
10-	कम्बल	5 वर्ष	20 "
11-	सोफा कवर्त	3 "	33 ¹ / ₃ "
12-	बाथ मैट	1 "	100 "
13-	मैट्रेस कवर	1 "	100 "
14-	मच्छरदानी	3 "	33 ¹ / ₃ "
15-	पिलोज तकिया	5 "	20 "
16-	हाथनिग टेबुल कवर्त	9 माह	100 "
17-	गदवा फोम	5 वर्ष	20 "
18-	गदवा काटन	3 "	33 ¹ / ₃ प्रतिशत
19-	पिलो काटन	3 "	33 ¹ / ₃ "
20-	समस्त लकड़ी फर्नीचर व अन्य सामान लकड़ी का	10 वर्ष	10 प्रतिशत
21-	कारपेट्स	6.6 वर्ष	15 "
22-	क्याचर मैट	5 वर्ष	20 "
23-	टेबुल लैम्प	10 वर्ष	10 "
24-	थकटान	5 "	20 "
25-	फ्रिज	10 "	10 "
26-	मग प्लास्टिक	1 "	100 "
27-	क्याचर डोर मैट	1 "	100 "
28-	डोर मैट	1 "	100 "
29-	बाल्टी प्लास्टिक	2 "	50 "

30-	बाल्टी लॉहे की	5 वर्ष	
31-	बाथ पटरा	2 "	20 प्रतिशत
32-	स्टील घेयर	10 वर्ष	50 "
33-	फोल्डिंग बेड	5 "	10 "
34-	हैंडर / प्लास्टिक	2 "	20 "
35-	जी०आई०वाक्स	20 "	50 "
36-	स्परकंडीशनर	10 "	5 "
37-	स्टील अलमारी	15 वर्ष	10 "
38-	प्लाई स्टीक्स प्लास्टिक	1 वर्ष	6.6 प्रतिशत
39-	इलेक्ट्रिक हीटर / हाट प्लेट रूम हीटर	5 "	100 "
40-	इलेक्ट्रिक हाटकैस	10 वर्ष	20 "
41-	पैडिस्टल फैन	10 "	10 "
42-	फिनिट पम्प	2 "	10 "
43-	पिक्चर विट फ्रेम	10 "	50 "
44-	साइकिल	10 "	10 "
45-	पालक्लाक्स	10 "	10 "
46-	छत्र ताले	3 "	10 "
47-	टेबिल फैन	10 "	33.3 "
48-	टाईप राईटर	20 "	20 प्रतिशत
49-	वेस्ट पेपर बास्केट/डस्टबिन प्लास्टिक व लोहा	2 "	50 "
50-	टार्च	5 वर्ष	
51-	लान मूवर	10 "	20 प्रतिशत
52-	घाटर कुलर	10 "	10 "
53-	टेलीविजन	10 "	10 "
54-	रूम कुलर/डीजर्ट कुलर	5 "	10 "
55-	पम्प	5 "	20 "
56-	धूपदानी	5 "	20 "
57-	फ्लोर दर्री	10 वर्ष	20 "
58-	इमरजेंसी लाइट	10 "	10 "
59-	स्पीकर	5 "	10 "
60-	डीप फ्रीजर	15 "	20 "
61-	इलेक्ट्रिक तंदूर	5 "	6.6 "
62-	लशैज रैक	15 "	20 "
63-	क्वायर मैटिंग	2 "	6.6 "
64-	ऑडोनिल कण्टेनर	5 वर्ष	20 "
65-	आयरन चैन	10 "	20 "
66-	चूहेदानी	10 "	10 "
67-	हैलमैट	5 "	10 "
68-	कैल्कुलेटर	2 "	20 "
69-	गार्डन सम्प्रेला	5 "	50 "
70-	चिक्का	1 "	20 "
			100 "

71- स्वीपिंग द्राली

5 वर्ष

20 प्रतिशत

2- मुख्य व्यवस्थाधिकारी/वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/उपरोक्तानुसार प्रत्येक वर्ष स्टाक रजिस्टर में ह्रास की गणना कराकर प्रत्येक वस्तु का ह्रासित मूल्य प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

3- उपरोक्त जीवन अवधि व ह्रास की दरें पूर्णतया मार्गदर्शक के रूप में हैं। यदि कोई वस्तु उपरोक्त निर्धारित अवधि से अधिक समय तक उपयोग में लगे जाने के योग्य है, तो उन्हें अनुपयोगी नहीं माना जायेगा भले ही अमुक वस्तु की उपरोक्त निर्धारित जीवन अवधि चपतीत हो गई हो।

हेमलता टोंडियाल
राज्य सम्पत्ति अधिकारी एवं
विहित प्राधिकारी

संख्या-सम-115 - 111/32-3-1993 तददिनांक

प्रतिलिपि मुख्य व्यवस्थाधिकारी/ वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/
व्यवस्थाधिकारी, समस्त राज्य अतिथि गृह, राज्य सम्पत्ति विभाग को सूचनाएँ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाएँ प्रेषित।

आज्ञा से,

हेमलता टोंडियाल
राज्य सम्पत्ति अधिकारी एवं
विहित प्राधिकारी